सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में
प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक – 03/2017
श्री जय कशोर शर्मा,
पूर्व सरपंच, ग्राम/पोस्ट/तहसील–गीदम जिला द0ब0दन्तेवाड़ा .... **अपीलार्थी**
विरूद्ध
जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा .... **रिस्पाडेंट**

–आदेश–

(पारित दिनांक 02/05/2017)

- श्री जय किशोर शर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम/पोस्ट/तहसील–गीदम जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रथम अपील आवेदन अंकित दिनांक 03–04–2017 पोस्ट आफिस के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित किया गया, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 05–04–2017 को प्राप्त हुआ।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ प्रथम अपील शुल्क रू0 50.00 का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर कमांक पी 604081, जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दन्तेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13–02–2017 की छायाप्रति, उनके कार्यालय से जारी पत्र कमांक/148/08–03–2017 की छाया प्रति तथा सी.जी.टी.सी.–6 कमांक 50/154016 दिनांक 09–03–2017 द्वारा 70.00 रू0 जमा करने संबंधी रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है।
- अपीलार्थी ने प्रथम अपील में लेख किया है कि सूचना के अधिकार के तहत् उन्होंने जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दन्तेवाड़ा से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) दन्तेवाड़ा के राजस्व प्रकरण कमांक 56/अ–6 (अ)/2010–11 में पारित आदेश तथा सम्पूर्ण प्रकरण की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु 13–02–2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी के पत्र कमांक/148/08–03–2017 के द्वारा उन्हें दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने हेतु 70.00 रू0 जमा करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 09–03–2017 को रसीद कमांक 50/154016 द्वारा राशि जमा की गई । नियमतः 30 दिन के अन्दर उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए थी किन्तु 50 दिन से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई है। **अतः जानकारी दिलवाई जावे।**
- दिनांक 05–04–2017 को प्रथम अपील प्रकरण दर्ज किया गया। जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) दन्तेवाड़ा को सूचना पत्र कमांक/1913/दिनांक 07–04–2017 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया ।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 18–04–2017 को जन सूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रस्तुतकार (रीडर) उपस्थित हुए तथा जन सूचना अधिकारी के पत्र कमांक/233/12–04–2017 द्वारा प्रथम अपील का बिन्दुवार जवाब तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् की गई समस्त कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।
- जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13–02–2017 को सूचना का अधिकार के तहत् आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अभिलेखागार में जमा होने के कारण जन सूचना अधिकारी ने प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार दन्तेवाड़ा को पत्र कमांक/88/14–02–2017 भेजकर प्रकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिला अभिलेखागार दन्तेवाड़ा से दिनांक 07–03–2017 को पत्र कमांक/1074/अभिलेखागार/दिनांक 01–03–2017 के माध्यम से

राजस्व प्रकरण जन सूचना अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की गणना कर पत्र कमांक/148/दिनांक 08–03–2017 द्वारा आवेदक को प्रतिलिपि शुल्क रू0 70.00 जमा करने गणना पत्रक भेजा गया। आवेदक के द्वारा दिनांक 09–03–2017 को प्रतिलिपि शुल्क की राशि रू0 70.00 जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया। तत्पश्चात् जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) दन्तेवाड़ा के पत्र कमांक/226/सू.का.अ./17 दन्तेवाड़ा दिनांक 05–04–2017 द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक श्री जय किशोर शर्मा को राजस्व प्रकरण कमांक 56/अ–6(अ)/2010–11 में पारित आदेश तथा सम्पूर्ण प्रकरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी है।

- अपीलार्थी को, अपना पक्ष रखने तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रकरण की द्वितीय सुनवाई दिनांक 28–04–2017 को उपस्थित होने सूचना पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अपीलार्थी सुनवाई तिथि को अनुपस्थित रहे, व अपीलार्थी का पक्ष समक्ष में नहीं सुना जा सका। अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
- प्रकरण में गुण–दोष के आधार आदेश पारित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 56/अ–6(अ)/2010–11 में संलग्न समस्त दस्तावेजों की मांग की गई थी । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जन सूचना अधिकारी ने जिला अभिलेखागार में जमा किए गए उक्त राजस्व प्रकरण को उपलब्ध कराने पत्र प्रेषित किया। प्रकरण प्राप्त होने पर दस्तावेजों की गणना कर गणना पत्रक अपीलार्थी को राशि जमा करने भेजा। अपीलार्थी द्वारा राशि जमा करने उपरांत स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन्हें चाही गई जानकारी की सत्यापित प्रति प्रेषित कर दी है। जहां तक प्रश्न समय सीमा का है अपीलार्थी ने दिनांक 09–03–2017 को वांछित शुल्क की राशि जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा की है उसके 30 दिवस के अंदर ही दिनांक 05–04–2017 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से जानकारी अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है। **अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील में चाही गई जानकारी दिलवाए जाने का अपील किया गया है।** जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से जानकारी की सत्यापित प्रति प्रेषित करने संबंधी पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थी इस बात की पुष्टि करे कि वास्तव में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है अथवा नहीं। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ0क0/2507/सू0अ0/अपील/2017 दन्तेवाड़ा दिनांक 02–05–2017

प्रतिलिपि :–

1– जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अ0वि0अ0(रा) दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– श्री जय किशोर शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम/पोस्ट/तहसील–गीदम जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश के विरूद्ध आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0 केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पताः–
मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा